न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 281 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र खुबाराम उम्र 29 वर्ष
2. रावताराम पुत्र खुबाराम उम्र 27 वर्ष
3. वीराराम पुत्र खुबाराम उम्र 23 वर्ष

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अर्जूनराम पुत्र पुरखाराम उम्र 38 वर्ष
2. कदणोदेवी पत्नि पुरखाराम उम्र 70वर्ष
3. कपूराराम पुत्र मावाराम उम्र 40वर्ष
4. पाबूराम पुत्र पुरखाराम उम्र 45वर्ष
5. बाबूलाल पुत्र मावाराम उम्र 46वर्ष
6. रूखमोदेवी पत्नि मावाराम
7. लाखाराम पुत्र मावाराम उम्र 55 वर्ष
8. वोताराम पुत्र रिडमलराम उम्र 38वर्ष
9. शंकरलाल पुत्र मावाराम उम्र 35वर्ष
10. सोनाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 55वर्ष
11. कानाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 35वर्ष
12. प्रभूराम पुत्र तुलसाराम उम्र 32वर्ष
13. रूघाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 60 वर्ष
14. वोहताराम पुत्र तुलसाराम उम्र 40वर्ष
15. शंकराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 45वर्ष
16. पेमाराम पुत्र सवाराम उम्र 40 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
17. कानाराम पुत्र सांगाराम उम्र 50 वर्ष
18. भानाराम पुत्र सांगाराम उम्र 53 वर्ष
19. हीराराम पुत्र सांगाराम उम्र 48 वर्ष
20. भलाराम पुत्र सांगाराम उम्र 50 वर्ष जातियान जाट निवासी भलखाडी, पायला खुर्द तहसील सिणधरी
21. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा सिणधरी
22. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 13.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 4.8297 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी